भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
लखनऊ

भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ में लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-टेंडर

मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ, में लेखन सामग्री एवं मुद्रित लेखन सामग्री की माह अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक आपूर्ति हेतु ई-टेन्डर आमंत्रित करता है। टेन्डरिंग एमएसटीसी लिमिटेड के ई- टेंडरिग पोर्टल www.mstcecommerce.com/eprocn/) के माध्यम से किया जाएगा। रुचि रखने वाले सभी उत्पादक/प्रधिकृत एजेन्ट/वितरकों के लिए अनिवार्य है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उल्लिखित वेब साइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड में स्वयं को पंजीकृत कर लें। एमएसटीसी पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ई-निविदा भरने की अंतिम तिथि 17 मार्च, 2026 को 15:00 बजे तक है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में दिनांक 27 फरवरी, 2026 को समय प्रातः11:00 बजे प्री-बिड मीटिंग रखी गयी है।

2. निविदा के संबंध में कोई संशोधन/ भूल सुधार, यदि होगा तो भविष्य में केवल भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साइट और एमएसटीसी की वेब साइट पर अधिसूचित किया जाएगा तथा इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

निविदा की अनुसूची

1.	ई-निविदा संख्या / घटना संख्या।	RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/4/25-26/ET/1050 [Supply of Stationery Items RBI] & RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/1055[Supply of Stationery Items RBI]
2.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम भाग I की ऑनलाइन प्रस्तुति - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली (www.mstcecommerce.com/eprocn/) के माध्यम से इच्छुक बोलीदाताओं को इस ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। कोई भौतिक तकनीकी/मूल्य बोली स्वीकार्य नहीं होगी

3.	अनुमानित लागत	₹10.00 लाख
4.	प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि	**फरवरी 25, 2026 02:00 बजे दोपहर**
5.	विक्रेता द्वारा डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्धता की तारीख	**फरवरी 25, 2026 02:00 बजे दोपहर**
6.	www.mstcecommerce.com/eprocn/ और https://rbi.org.in पर ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तिथि	**फरवरी 25, 2026 02:00 बजे दोपहर**
7.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि, समय और स्थान	**फरवरी 27, 2026 11:00 बजे,** भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, 8-9 विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
8.	तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	**मार्च 17**, **2026 03:00 बजे सांय**
9.	तकनीकी बोली बोली खोलने की तिथि और समय	**मार्च 17**, **2026 04:00 बजे सांय**
10.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में 16 मार्च 2026 को दोपहर 02:00 बजे या उससे पहले करना होगा। एनईएफटी का विवरण खाता संख्या - 186003001 आईएफएससी - RBIS0LKPA01 (पाँचवाँ एवं दसवाँ लेटर शून्य है।) (ट्रैंज़ैक्शन का विवरण अग्रलिखित ई-मेल आई डी पर भेजें pushkerkumar@rbi.org.in mohitchauhan@rbi.org.in)

11.	लेनदेन शुल्क एमएसटीसी को एनईएफटी के भुगतान किया जाना है	जैसा कि एमएसटीसी पोर्टल पर बताया गया है।
12.	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	योग्य पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा
13.	प्रतिभूति जमाराशि	सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के साथ निम्नलिखित खाते में ₹50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/ प्रतिभूति जमाराशि जमा करनी होगी: खाता संख्या - 186003001 आईएफएससी - RBIS0LKPA01 (पाँचवाँ एवं दसवाँ लेटर शून्य है।) (ट्रैंज़ैक्शन का विवरण अग्रलिखित ई-मेल आई डी पर भेजें pushkerkumar@rbi.org.in and mohitchauhan@rbi.org.in)

इच्छुक निविदाकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को रु.20,000.00 की बयाना राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से अथवा लखनऊ पर देय भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना होगा।

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को प्रॉसेसिंग के दौरान अपेक्षित योग्यता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो बैंक के पास उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक सबसे कम बोली की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

यदि निविदा के संबंध में भविष्य में कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे उपरोक्तानुसार सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा तथा उसे समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

ई-निविदा-भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ में लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु

E-Tender Ref No: RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/4/25-26/ET/1050[Supply of Stationery Items RBI] & RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/1055[Supply of Stationery Items RBI]

दावा-अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने इच्छुक पक्षों को संविदा की पृष्ठभूमि बताने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित सूचना तैयार करने में सावधानी बरती है और इसे ठीक समझता है, फिर भी न तो रिज़र्व बैंक और न ही इसके कोई अधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इससे संबद्ध देने योग्य किसी अन्य जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी अथवा अभ्यावेदन (व्यक्त रूप में हो अथवा निहित हो) प्रदान करते हैं।

जरूरी नहीं है कि यह जानकारी संपूर्ण हो। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ कर लेनी चाहिए और निविदा में भाग लेने वालों को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने खुद पूछताछ कर ली है और ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सूचना पर निर्भर नहीं हैं । यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास संविदा पर आगे न बढ़ने अथवा संविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारणी को बदलने अथवा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, यह निविदा को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है और निविदा के तहत रुचि व्यक्त करने/आवेदन करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी रखता है। निविदा के तहत रुचि व्यक्त करने/आवेदन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1.	**ई-निविदा सं. / ईवेंट सं.**	RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/4/25-26/ET/1050[Supply of Stationery Items RBI] & RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/1055[Supply of Stationery Items RBI]
2.	**निविदा का माध्यम**	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करना इच्छुक बोलीदाताओं को इस ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई भौतिक तकनीकी/मूल्य बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
3.	**प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि**	**25 फरवरी 2026 को 1400 बजे**
4.	**डाउनलोड करने के लिए वेंडरों को एनआईटी की उपलब्धता की तिथि**	**25 फरवरी 2026 को 1600 बजे**
5.	www.mstcecommerce.com/eprocn/ **और https://rbi.org.in पर ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि**	**25 फरवरी 2026 को 1600 बजे**
6.	**बोली-पूर्व मीटिंग की तिथि, समय और स्थान**	**27 फरवरी 2026 को 1100 बजे**
7.	**तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि**	**17 मार्च 2026 को 1500 बजे**
8.	**तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय**	**17 मार्च 2026 को 1600 बजे**
9	**बयाना जमा राशि (ईएमडी)**	₹20,000/- (रुपये बीस हज़ार मात्र) NEFT के ज़रिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, लखनऊ के नाम पर 17 मार्च, 2026 को दोपहर 14:00 बजे या उससे पहले भेजें।

		अकाउंट नंबर - 186003001 IFSC कोड - RBIS0LKPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर ज़ीरो है) (जानकारी/फ़ॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन की जानकारी pushkerkumar@rbi.org.in और mohitchauhan@rbi.org.in पर भेजें)।
10.	**लेनदेन शुल्क (एनईएफटी के माध्यम से एमएसटीसी को भुगतान किया जाना है)**	जैसा कि एमएसटीसी पोर्टल पर उल्लेख किया गया है।
11.	**मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय**	योग्य पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा
12.	**प्रतिभूति जमा**	सफल निविदा देने वाले को ठेकेदार के साथ, नीचे दिए गए अकाउंट में ₹50,000.00 (रुपये पचास हज़ार मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) / सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना होगा: अकाउंट नंबर – 186003001 IFSC कोड - RBIS0LKPA01 (पांचवां और दसवां अक्षर ज़ीरो है) (जानकारी/फ़ॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन की जानकारी pushkerkumar@rbi.org.in और mohitchauhan@rbi.org.in पर दें)।

नोट **:**

1. उपरोक्त में से किसी भी दिन अप्रत्याशित रूप से कार्य बंद होने/छुट्टी होने की स्थिति में, उसे अगले कार्य दिवस पर खोला/आयोजित किया जाएगा।
2. बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली निविदाएं बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत की जा सकती हैं।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जाएंगी।
4. किसी भी प्रकार की समस्या/विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

<table>
<tr><td>1.</td><td>
A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडरअपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पी.सी. से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए RBI जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।
विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (संस्करण 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।
1) वेंडरों को https://www.mstcecommerce.com →e-Procurement →PSU/Government Departments → Select RBI Logo-Register as Vendor -- Filling up details and creating own user id and password→ Submit पर स्वयं को पंजीकरण कराना आवश्यक है।
2) वेंडरों को ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनित मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।
3) आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई और एमएसटीसी के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है –
संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लि.):
<table>
<tr><td>1</td><td>श्री विजयंत नारायण सिंह</td><td>वरिष्ठ कार्यकारी</td><td>09909080178</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एमएसटीसी साइट में तकनीकी सहायता</td><td>0522-4244702</td><td>आईवीआरएस नं -07969066600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कोलकाता मुख्यालय</td><td colspan="2">03335013220/21/22</td></tr>
</table>
संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):
1. श्री पुष्कर कुमार (प्रबंधक): 06201041410 (pushkerkumar@rbi.org.in)
2. श्री मोहित चौहान (सहायक प्रबंधक): 09719106911 (mohitchauhan@rbi.org.in)
B) सिस्टम आवश्यकताएँ:
विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
</td></tr>
</table>

	IE-7 और ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर नवीनतम अपडेटेड जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। डीएससी के हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित होने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित लागू की जा सकती हैं। Tools => Internet Options =>Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning "Enable Protected Mode". **अन्य सेटिंग्स**: Tools => Internet Options => General => Click On Settings under "browsing history/ Delete Browsing History" => Temporary Internet Files => Activate "Every time I Visit the Webpage". To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once) **C) ई-निविदा की प्रक्रिया** तकनीकी बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn/. पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं निविदा में उल्लिखित निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। निविदा में सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के दर्ज की जानी चाहिए।
2.	**लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट:** वेंडर लॉगिन में "माई मेन्यू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके प्रत्येक ईवेंट के लिए लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता लेन-देन शुल्क की राशि को चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार बिना परिवर्तन किए प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वत: अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाया जाता है और बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाता है जो अप्रतिदेय है। लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-निविदा एक्सेस नहीं कर पाएगा।

	नोट: **बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईवेंट के समापन समय से पहले ही प्रत्येक ईवेंट हेतु लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।**
3.	टेंडर/अपलोड किए गए शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी केवल टेंडर को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
4.	ई-इस निविदा के नोटिस में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
5.	ई-निविदा में बोली लगाना: a) विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल वेंडर(ओं) की ईएमडी निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। b) प्रक्रिया में तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। c) एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए वेंडरों के लिए लेनदेन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। www.mstcecommerce.com→e-procurement →PSU/Govt. depts.→ Login under RBI → My menu→ Auction Floor Manager→ live event →Selection of the live event. d) वेंडरों को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करना है। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशंस को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो वेंडर तकनीकी बोली को सेव/जमा नहीं कर पाएगा। e) तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडरों को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर वेंडर को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "SAVE" पर क्लिक करना। फिर एक बार तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों सेव करने के बाद, वेंडर अपनी बोली दर्ज करने के लिए "Final submission" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। f) मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा में दी गई तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं खोली जाएंगी। g) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन मूल्य बोली प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए। h) विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए " Attach Doc " का उपयोग करें। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। i) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। j) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से अनजान रहेंगे।

	k) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुली रहेगी। l) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और आरबीआई द्वारा उसकी स्वीकृति कार्य के निष्पादन के लिए आरबीआई और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का निर्माण करेगी। m) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किया जाए अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। n) भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। o) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। p) किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर पर बोली प्रस्तुत करना वेंडर द्वारा इस स्वीकृति की पुष्टि करता है कि उसके द्वारा निविदा की नियम और शर्तें पूरी की गई हैं।
6.	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
7.	वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी विचलन की अनुमति नहीं है।
8.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।
9.	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड पढ़ें और एमएसटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो देखें।
10.	विक्रेता को उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के भौतिक नमूने प्रस्तुत करने होंगे। मदों का इस निविदा दस्तावेज के अनुबंध ए में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। सामग्री जमा करने करने में विफल रहने या घटिया सामग्री जमा वाले विक्रेता को आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

लेखन सामग्री हेतु भौतिक नमूने जमा करने के लिए स्थान, बोली-पूर्व बैठक का स्थान और निविदा प्रस्ताव खोलने का स्थान नीचे दिये गए हैं:

पत्राचार के लिए पता,

क्षेत्रीय निदेशक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

8-9 विपिन खंड

गोमती नगर लखनऊ-226010
टेलीफोन नं. 052224667232

टेलीफोन नंबर: ईमेल: hrmdlucknow@rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को स्टेशनरी आइटम उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं और उनके अधिकृत एजेंटों/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन आमंत्रित करने की नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ के निर्माताओं और उनके अधिकृत एजेंटों/वितरकों/विभिन्न स्टेशनरी मदों के आपूर्तिकर्ताओं (संलग्न शीट के अनुसार - अनुबंध ए) से कोटेशन आमंत्रित करता है। निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंड वाले बोलीदाताओं पर ही विचार किया जाएगा।

पूर्व योग्यता मानदंड:

क्रम	मानदंड
1	क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव: स्टेशनरी आइटम प्रदान करने के लिए समान कार्य निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। (समावेशन प्रमाणपत्र या संघटन पत्र/ संस्थापन नियमावली के साथ प्रमाणिक दस्तावेज़ अपलोड किए जाने चाहिए।)
2.	पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव। तीन समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है अर्थात् 10 लाख रुपये का 40% 400 लाख रुपये के बराबर है या दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है। ₹10.00 लाख का 50% ₹5.00 लाख के बराबर होता है या अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाला एक समान कार्य यानी ₹10.00 लाख का 80% ₹8.00 लाख के बराबर होता है।
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम ₹10 लाख का कारोबार होना चाहिए। (पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न अपलोड किए जाएंगे)
4	सॉल्वेंसी: निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, विशेष रूप से पैनल / कार्य के उद्देश्य से, ₹10.00 लाख के बराबर राशि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए
5.	आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए और लखनऊ में स्थित होना चाहिए।

2. निविदा प्रपत्र www.mstcecommerce.com/eprocn/ और हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

3. आदेश के गैर-कार्यान्वयन/वितरण के लिए बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/पीएसई या बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा डीलिस्ट/ब्लैकलिस्टेड इकाई नहीं होना चाहिए। इस आशय की स्व-घोषणा तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए।

4. बोलीदाता को निदेशकों/प्रबंधन टीम के उन सदस्यों की सूची अपलोड करनी चाहिए, जो अन्य संस्थाओं में प्रबंधन टीम के निदेशक/सदस्य भी हैं (संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए)। यदि ऐसा निदेशक/प्रबंधन दल का सदस्य किसी असूची/काली सूची में डाली गई संस्था से जुड़ा है, तो ऐसी संस्था/सबंधित बोली में भाग लेने की पात्र नहीं होगी।

5. बोली लगाने वाले की प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि होनी चाहिए।

6. बोली लगाने वाले को वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी होनी चाहिए।

7. पात्र विक्रेता **17 मार्च, 2026 को 15:00** बजे तक एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विक्रेताओं को किसी भी समय बैंक द्वारा सत्यापन के लिए तैयार दस्तावेजों के मूल को सुरक्षित रखना आवश्यक है। निविदाओं और/या दस्तावेजों को जमा करने के लिए समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. तकनीकी बोली (निविदा का भाग I) 17 मार्च, 2026 को 16:00 बजे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जिन्होंने उपस्थित होने के लिए सूचना दी है। मूल्य बोली (निविदा का भाग II) केवल उन निविदाकारों के लिए खोली जाएगी, जो भाग I निविदाओं की जांच के बाद या किसी भी बाद के कार्य दिवस पर पात्र पाए जाएंगे, जिसकी सूचना सभी पात्र निविदाकारों को दी जाएगी।

9. मूल्य बोली का मूल्यांकन:

i. विक्रेता को एमएसटीसी पोर्टल पर वित्तीय बोली (भाग II) जमा करनी होगी।
ii. प्रत्येक स्टेशनरी के लिए एल1 वेंडर (जैसा कि अनुबंध ए में दर्शाया गया है) तय किया जाएगा
iii. एक विक्रेता एक या अधिक मदों के लिए बोली प्रस्तुत कर सकता है।
iv. आरबीआई अपने विवेक से एक से अधिक वेंडरों को सूचीबद्ध कर सकता है। इस संबंध में निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।
v. एल1 वेंडर द्वारा उद्धृत मूल्य एल2 और एल3 वेंडर को दिया जाएगा, बशर्ते वे एल1 दरों पर आपूर्ति करने को तैयार हों। यदि L2 और L3 वेंडर तैयार नहीं हैं, तो L4, L5 वेंडर आदि को ऑफर दिया जा सकता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9 विपिन खंड
गोमती नगर
लखनऊ-226010

महोदय,

विनिर्माताओं/उनके अधिकृत एजेंटों/वितरकों/स्टेशनरी मदों के आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन

सन्दर्भ: निविदा में ....

मैं/हम स्वयं को स्टेशनरी आइटम निर्माता/अधिकृत एजेंट/वितरक/आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और आपसे भारत स्थिति आपकी शाखाओं/कार्यालयों में स्टेशनरी आइटम (आइटम का नाम) प्रदान करने के लिए अपने/हमारे कोटेशन पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। मैं/हम अपनी/हमारी फर्म/कंपनी और व्यवसाय के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं :

1. ए) फर्म/कंपनी का नाम और प्रधान कार्यालय और शाखा/कार्यालय का पूरा पता:
नाम:
पता:
बी) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:
सी) संगठन:
डी) स्थापना की तिथि:
ई) फर्म की ई-मेल आईडी:

2. ए) पंजीकरण और लाइसेंस संख्या:
(कृपया प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रदान करें)
बी) मालिक/भागीदारों/निदेशकों का पूरा नाम और पता:

3. फर्म/कंपनी की शाखाओं/सहयोगियों के नाम और पते:
ए)
बी)
सी)
(यदि प्रदान किया गया स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग सूची अपलोड की जा सकती है)

4. पिछले तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार (रु. लाख)
2022-23:
2023-24:
2024-25:

5. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की वार्षिक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें।

6. पूरे भारत में कार्यालयों/आउटलेटों की संख्या: (एक सूची अपलोड करें)

7. वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करना होगा।

8. कम से कम तीन अनुबंधों के विवरण, जिनमें से हर एक की कीमत अनुमानित कीमत के 40% से कम नहीं है, अर्थात ₹10 लाख का 40% बराबर ₹4.00 लाख या दो अनुबंध जिनमें से हर एक की कीमत अनुमानित कीमत के 50% से कम नहीं है, अर्थात ₹10.00 लाख का 50% बराबर ₹5.00 लाख या एक कॉन्ट्रैक्ट जो अनुमानित कीमत के 80% से कम नहीं है, अर्थात ₹10.00 लाख का 80% बराबर ₹8.00 लाख और उससे ज़्यादा जो फर्म/कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्ष अर्थात FY 2022-23 से FY 2024-25 तक स्टेशनरी आइटम देने के लिए दूसरे बैंकों/पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स/दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ किया था/करते हैं।

9. ग्राहकों की सूची, जिसमें नाम, डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि सहित संपर्क व्यक्तियों के पूर्ण विवरण शामिल हों, जिनसे भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सके।

10. बोलीदाता को उन निदेशकों/प्रबंधन टीम के सदस्यों की सूची अपलोड करनी चाहिए जो अन्य संस्थाओं में भी निदेशक/प्रबंधन टीम के सदस्य हैं (ऐसे निदेशकों का नाम और ऐसी संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए)।

11. बोलीदाताओं को उन निदेशकों/प्रबंधन टीम के सदस्यों की सूची अपलोड करनी चाहिए, जो अन्य संस्थाओं में भी निदेशक/प्रबंधन टीम के सदस्य हैं (इस प्रकार के निदेशकों के नाम और ऐसी संस्थाओं के नाम उल्लेखित किए जाने चाहिए)।

12. क्या निविदाकार को किसी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSE) या बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा सूची से हटाया गया / काली सूची में शामिल किया गया है (हां / नहीं)

13. अन्य जानकारी, यदि कोई हो:
(यदि आवश्यक हो, तो कृपया शीट संलग्न करें)
नोट: किसी भी मुद्दे पर विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही लखनऊ में होगी।

एमएसटीसी की वेबसाइट पर भरे जाने और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i) निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित योग्यता मानदंड के संबंध में सभी सहायक दस्तावेज।
ii) विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्राधिकरण पत्र।
iii) प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी नियम और शर्तें
iv) आवेदन पत्र
v) तकनीकी बोली (भाग 1) फॉर्म - विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ

आवेदक की घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आप किसी से भी और मेरे/बैंकर से भी गोपनीय राय मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि आप उचित समझें। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने सभी शर्तों को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज में दर्शाई गई शर्तें और एतद्द्वारा उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।

भवदीय,

स्थान: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम

तारीख:

भाग - I - तकनीकी बोली

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9 विपिन खंड
गोमती नगर
लखनऊ-226010

महोदय,

निर्माताओं/अधिकृत एजेंटों/वितरकों/स्टेशनरी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन

इसमें निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों की जांच करने और निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में दिए गए निर्दिष्ट समय का कड़ाई से पालन करते हुए, कोटेशन के भाग II में ऑनलाइन उल्लेख की हुई संबंधित दरों पर और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जो लागू हो सकती हैं, के संबंध में निर्दिष्ट स्टेशनरी आइटम प्रदान करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्य का विवरण	भारत स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ को स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति और सुपुर्दगी करना।
(बी)	अनुमानित लागत	सालाना लगभग ₹10 लाख
(सी)	अवधि	संविदा **31 मार्च, 2027** तक है और बैंक के विकल्प पर दो साल की अवधि (एक बार में एक वर्ष) के लिए मौजूदा दरों में 5% तक की वार्षिक वृद्धि के साथ सालाना नवीकरणीय है, जो मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के अधीन होगी।
(डी)	डिलीवरी अनुसूची	आवश्यकतानुसार/ त्रैमासिक मांग पत्र दिया जाएगा और 5 दिनों के भीतर आपूर्ति और वितरण किया जाना है। तत्काल आवश्यकता 24 घंटों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

2. यदि इस निविदा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इस बात पर सहमत हैं कि उक्त संविदा की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा, जहां तक वे लागू हों या यदि उनमें चूक हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धनराशि जब्त कर ली जाए या और भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि का भुगतान किया जाए।

3. मैंने/हमने एनईएफटी द्वारा ₹20,000.00 (ईएमडी के रूप में) की राशि जमा की है। उपरोक्त बयाना जमा राशि (ईएमडी) या सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि मैं/हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर संविदा निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे।

4. मेरे/हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा एवं शाखा का पूरा पता	संपर्क व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम	टेलीफ़ोन, मोबाइल व फ़ैक्स सं

4. मैं/हम संपर्क अधिकारियों (अर्थात वे व्यक्ति, जिनसे आवश्यकता होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक संपर्क कर सकता है) के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूर्ण विवरण के साथ अपने/हमारे ग्राहकों की सूची संलग्न कर रहे हैं।

5. हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कंपनी के निदेशक का नाम (या)/ संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम। (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति अपलोड की जानी चाहिए।)

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

मुहर सहित

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

निर्माताओं/उनके अधिकृत एजेंटों/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं से लेखन सामग्री के लिए कोटेशन

संविदा के नियम और शर्तें

बैंक के केंद्रीय कार्यालय और देश भर में फैली शाखाओं/कार्यालयों और भविष्य में रिज़र्व बैंक द्वारा खोले जाने वाले किसी भी अन्य कार्यालय में स्टेशनरी के आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए देश भर में प्रासंगिक अनुभव और व्यापक नेटवर्क और आवश्यक बुनियादी ढांचे वाले प्रतिष्ठित निर्माताओं/वितरकों/अधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. योग्यता-पूर्व मानदंड:

क्र.सं.	मानदंड
ए	क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव: स्टेशनरी आइटम प्रदान करने के लिए समान कार्य निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। (समावेशन प्रमाणपत्र या संघटन पत्र/संस्थापन नियमावली के साथ प्रमाणिक दस्तावेज़ अपलोड किए जाने चाहिए।)
बी	पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव। तीन समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है अर्थात् 10 लाख रुपये का 40% 400 लाख रुपये के बराबर है या दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है। ₹10.00 लाख का 50% ₹5.00 लाख के बराबर होता है या अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होने वाला एक समान कार्य यानी ₹10.00 लाख का 80% ₹8.00 लाख के बराबर होता है।
सी	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम ₹10 लाख का कारोबार होना चाहिए। (पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न अपलोड किए जाएंगे)
डी	सॉल्वेंसी: निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, विशेष रूप से पैनल / कार्य के उद्देश्य से, ₹10.00 लाख के बराबर राशि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए

ई	आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए और लखनऊ या आस-पास के स्थान पर स्थित होना चाहिए।

2. <u>निविदाओं के लिए प्रक्रिया</u>

स्टेशनरी मदों और स्टेशनरी की छपाई के लिए निविदा दो भागों में अपलोड की जाएगी अर्थात

i. तकनीकी बोली - भाग-। – वेंडरों को भाग-। को एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें सेवाओं के लिए बैंक के नियम और शर्तें शामिल होंगी (दरें और मदों की मात्रा इस भाग में कहीं भी नहीं होंगी) निविदाओं के कवरिंग लेटर और बयाना जमाराशि (ईएमडी), ऑडिटेड बैलेंस शीट, व्यवसाय शुरू करने की तारीख के प्रमाण के साथ, कम से कम तीन ग्राहकों से जॉब अवार्ड पत्र की प्रतियां जैसे ग्राहकों की सूची आदि जिन्हें स्टेशनरी आइटम प्रदान किए जा रहे हैं। संलग्नक सहित निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसने बोली पर हस्ताक्षर किए हैं) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और साथ ही अपलोड किया जाना चाहिए। बोली लगाने वाले की पुष्टि के रूप में तकनीकी बोली, उसमें निहित नियमों और शर्तों और अन्य प्रावधानों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अधूरी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निविदा प्रपत्र हिन्दी/अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गायब है या अहस्ताक्षरित है या अपलोड नहीं किया गया है, तो बैंक अपने विवेक से निविदा को अमान्य मान सकता है। निविदा भरते समय किए गए सभी संशोधनों और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षरों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने पर बैंक की ओर से निविदा रद्द कर दी जाएगी।

ii. मूल्य बोली - भाग-॥ - इसमें केवल भारतीय रुपये में आंकड़े शामिल होंगे (लागू जीएसटी को छोड़कर) जो एमएसटीसी पोर्टल पर वित्तीय बोली अनुभाग में विक्रेता द्वारा डाले जाने हैं। संबंधित मद के लिए प्रचलित जीएसटी को छोड़कर कोई अन्य कर/प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता को केवल ई-निविदा में मद के सामने उपलब्ध कराए गए स्थान में ही दरें भरनी चाहिए।

वित्तीय बोली (भाग ॥) के खुलने के बाद नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरें 03 महीने तक बिना किसी वृद्धि के बाध्यकारी होंगी।

3. निविदाओं को खोलने की अनुसूची

निविदाओं का भाग । निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित होना चाहते हैं, **17 मार्च 2026**, **16:00 बजे खोला जाएगा।** केवल उन निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग ॥) जो निविदाओं के भाग । की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, किसी भी बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएगी जिसकी सूचना सभी पात्र निविदाकारों को दी जाएगी।

4. ईएमडी

₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) की राशि के लिए ईएमडी की आवश्यकता: ईएमडी का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में लखनऊ में देय एनईएफटी खाता संख्या 186003001 IFSC - RBIS0LKPA01 ('0' शून्य दोनों स्थानों पर) द्वारा किया जाएगा। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जबकि असफल

बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई राशि को सुरक्षा जमा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। (एचआरएमडी कृपया सत्यापित करें कि इस खंड का अभिप्राय क्या है और विधि कक्ष के साथ चर्चा की जा सकती है और तदनुसार संशोधित किया जा सकता है)

5. सुरक्षा जमा

i. सफल बोली लगाने वाले को ऑफर स्वीकार होने की तारीख से 7 दिनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पूरा करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर ₹30,000/- (रूपये तीस हज़ार मात्र) और जमा करने होंगे। कुल सिक्योरिटी डिपॉज़िट ₹50,000/- (रूपये पचास हज़ार मात्र) कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली फर्म/कंपनी ऊपर बताई गई रकम जमा नहीं करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रद्द हो जाएगा और ₹20,000/- की EMD ज़ब्त हो जाएगी। हालांकि, अगर हालात ठीक रहे तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू करने का अधिकार रखता है। सिक्योरिटी डिपॉज़िट पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

ii. अनुबंध की कीमत के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर ₹50,000/- (रूपये पचास हज़ार मात्र) की बैंक गारंटी, अनुबंध खत्म होने के बाद दो और महीनों तक वैध, अनुबंध को पूरा करने के लिए प्रतिभूति जमा के बदले सफल निविदा देने वाले को एक्सेप्टेंस लेटर के साथ जमा करनी होगी। बैंक गारंटी जमा करने पर, प्रतिभूति जमा ₹50,000/- (रूपये पचास हज़ार मात्र) ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। ठेकेदार इस पर कोई ब्याज दावा नहीं करेगा। बैंक द्वारा अनुबंध रिन्यू करने पर बैंक गारंटी को अगले समय के लिए रिन्यू किया जाएगा।

भुगतान की शर्तें

6. सफल निविदाकर्ता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। हालाँकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करना एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के करार को निष्पादित किया गया है और इस संविदा पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।
स्टेशनरी कक्ष, मानव संसाधन प्रबंध विभाग - भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा त्रैमासिक / जब भी आवश्यक हो, मांग की जाएगी। इंडेंट अधिमानतः ई-मेल पर भेजा जाएगा। भुगतान उस भाग/कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसने आदेश दिया है।

7. प्रदान की गई स्टेशनरी वस्तुओं के लिए 100% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अच्छी स्थिति में वितरण के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बिलों को जमा करने की तारीख से 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत मासिक बिल के आधार पर बैंक सहमत राशि का भुगतान करेगा। **लागू जीएसटी को छोड़कर कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।** दर में सामग्री, परिवहन, श्रम, लागू करों की सभी लागत आदि शामिल होनी चाहिए।

8. स्टेशनरी आइटम या इस दस्तावेज़ में उल्लिखित कोई अन्य सामान प्रदाता को अपने बिल कार्यालय में सामग्री के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

9. स्टेशनरी या इस दस्तावेज़ में उल्लिखित कोई अन्य सामान अच्छी स्थिति में दिया जाना चाहिए। किसी भी क्षति के मामले में, जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। सामग्री की लागत और समय की हानि की वसूली की

जाएगी। यदि आपूर्ति की गई सामग्री बैंक द्वारा निर्दिष्ट मानक गुणवत्ता की नहीं है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस आपूर्ति के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पूर्ण या आंशिक रूप से आपूर्ति में विफलता या देरी होने की स्थिति में, बैंक को अपनी स्वेच्छा से अन्य स्रोतों के माध्यम से उसी सामग्री को मुद्रित कराने का अधिकार होगा, और यदि कोई लागत अंतर हो, तो उसे दोषी पक्ष से वसूला जाएगा।

सेवा प्रदाता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

10. सेवा प्रदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि कार्यालय से जब भी मांगपत्र मांगेंगे या मांगपत्र प्राप्त करेंगे या आवश्यकता मेल/फैक्स/डाक द्वारा भेजी जाएगी।

11. सेवा प्रदाता 10 (दस) दिन की अधिकतम अवधि के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे।

12. निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने में देरी के मामले में, बैंक इस संबंध में उठाए जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तीन दिनों तक की देरी के लिए देय शुल्क में 50% कटौती और सात दिनों से अधिक की देरी के लिए "अप्रत्याशित घटना बल" के मामले को छोड़कर देय शुल्क में 100% कटौती का जुर्माना लगा सकता है।

13. **अप्रत्याशित घटना:** कोई भी पक्ष दायित्वों को निभाने में किसी भी देरी के लिए या दायित्वों को पूरा करने में तब विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि देरी या विफलता निम्नलिखित में से किसी के परिणामस्वरूप होती है (चाहे भारत में हो या कहीं और हो) अप्रत्याशित घटना, दैविक आपदा, या कोई सरकारी अधिनियम, आग, भूकंप, विस्फोट, दुर्घटना, औद्योगिक विवाद, नागरिक अशांति या किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर कोई भी घटना। इसके पक्षकार ऐसे किसी भी विलंब को कम करने के लिए सभी उचित प्रयास करेंगे। देरी वाली घटना के समाप्त होने पर, पक्षकार, जहां तक परिस्थितियों के तहत व्यावहारिक हो, इन नियमों और शर्तों में वर्णित अपने संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

14. यदि कोई आपूर्तिकर्ता किसी भी अवसर पर आदेश रखने की तारीख से 1 महीने से अधिक समय तक कोई या सभी वस्तुएं आपूर्ति नहीं करता है या तीन अवसरों पर आदेश रखने की तारीख से सात दिनों से अधिक देरी से आपूर्ति करता है, तो बैंक उनके द्वारा जमा की गई प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर सकता है और उन्हें पैनल से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे आपूर्तिकर्ता को अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित भी कर सकता है।

15. सेवा प्रदाता केवल संबंधित कार्यालय को डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।

16. बैंक दावा, यदि कोई हो, लिखित रूप में करेगा - (ए) संबंधित बिल के भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यदि दावा कमी, क्षति या देरी से संबंधित है, (बी) बैंक द्वारा दर्ज किया गया ऐसा कोई भी दावा सेवा प्रदाता द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

17. बैंक किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए सेवा प्रदाताओं को 30 दिनों का नोटिस जारी करके इस समझौते में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले इस व्यवस्था को बंद कर सकता है।

18. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लिखित मात्रा केवल निविदा के मूल्यांकन के लिए अनंतिम है। वास्तविक मात्रा भिन्न हो सकती है।

19. प्रस्ताव तकनीकी बोली खोलने की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

(तकनीकी बोली खोलने की तारीख से प्रस्ताव कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।)

20. सेवा प्रदाता सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, विभिन्न करों (आयकर, आदि), श्रम और औद्योगिक कानूनों, जैसे न्यूनतम मजदूरी, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जैसे ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971; बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय) नियम, 1950; मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और आरबीआई को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत प्रचलित राज्य / केंद्र सरकार, / वर्तमान में लागू नगर निगम के कोई अन्य अधिनियम / नियम।

21. अनुबंध में शामिल सभी कार्य बोलीदाता द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी हिस्से, शेयर या ब्याज को स्थानांतरित, असाइन या सबलेट नहीं करेगा। उपरोक्त के बावजूद, ऐसी अनुमति देने का निर्णय रिज़र्व बैंक का अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा।

22. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:**

i. संविदाकर्ता “कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निषेध), रोकथाम और निवारणअधिनियम (, 2013” के प्रावधानों के पूरी तरह से अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। यदि बैंक परिसर के भीतर इसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तब यह शिकायत उपयुक्त शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी। संविदाकर्ता एजेंसी अपने / कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति कार्मिक को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। शिकायत के संबंध में इस अधिनियम के तहत संविदाकर्ता एजेंसी उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। /

ii. बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी की ओर से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति के संज्ञान में ली जाएगी।

iii. संविदाकर्ता किसी भी ऐसी मौद्रिक क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें संविदाकर्ता के कर्मचारी या-एजेंट या आपूर्ति कार्मिक के शामिल होने की वजह से भुगतान किया जाना हो, उदाहरण के लिए, यदि संविदाकर्ता के कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को मौद्रिक राहत का भुगतान।

iv. संविदाकर्ता जिम्मेदार होगा कि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करे।

v. संविदाकर्ता अपने उन कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति कार्मिक की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा जो बैंक परिसर के भीतर प्रतिनियुक्त हों।

*इस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता के लिए एक "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन करना अनिवार्य है जहाँ उसके 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं होने पर "स्थानीय शिकायत समिति" कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के उपनियमों के ठेकेदार / एजेंसी के कार्यस्थल पर पूर्ण अनुपालन के

लिए जिम्मेदार होगी। बैंक परिसर में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत होने पर उसे आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और ठेकेदार/एजेंसी उक्त अधिनियम के अनुसार शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगी।

23. **कर:** इस करार के तहत देय राशि में सभी कर, शुल्क स्थानीय लेवी, कार्य संविदा कर अथवा केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा दरों पर लगाए गए किसी भी तरह के अन्य कर शामिल होंगे, परन्तु जीएसटी को छोड़कर। लागू जीएसटी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा और जीएसटी पर टीडीएस लागू होने पर कटौती की जाएगी। सेवा प्रदाता बैंक को प्रस्तुत बिल/चालान में वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) का उल्लेख करेगा। सेवा प्रदाता बैंक को GSTIN पंजीकरण के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा मांगे जाने पर, सेवा प्रदाता संबंधित अधिकारियों को GST के भुगतान का प्रमाण (इस संविदा के तहत प्रदान की गई सर्विस के लिए लागू) प्रस्तुत करेगा। यदि ठेकेदार बिल में लागू करों, शुल्कों, स्थानीय लेवी को शामिल करने में विफल रहता है, तो उसके बाद बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लागू होने वाले करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी और इसके लिए बैंक द्वारा ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

24. मध्यस्थता

बैंक और बोलीदाता/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार संविदा के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के बीस दिनों के बाद**,** भारतीय रिज़र्व बैंक**,** लखनऊ और निविदाकर्ता किसी संविदा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ हैं**,** जिसमें किसी भी पक्ष की आवश्यकता हो सकती है**,** तो पक्षों की आपसी सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करके "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996"** के प्रावधानों को लागू करके विवाद को औपचारिक मध्यस्थता द्वारा समाधान के लिए भेजा जाए। यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होते हैं**,** तो प्रत्येक पक्ष अपना मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ संविदा के तहत पक्षों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेगा। मध्यस्थ व्यक्ति का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम मध्यस्थता की कार्यवाही को नियंत्रित करेंगे। मध्यस्थता का स्थान लखनऊ में होगा।

25. गैर-प्रकटीकरण खंड

संविदाकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी जानकारी**,** सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि के विवरण का खुलासा नहीं करेगा**,** जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है**,** किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं साझा करेगा और हर समय सख्त विश्वास में इसे धारण करेगा। इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर**,** संविदाकार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। संविदाकार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित**,** प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। संविदाकार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपायों का सहारा लेने का हकदार होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से पूरा किया गया है।

26. **क्षतिपूर्ति**

बोलीदाता इस संविदा के कार्य के संबंध में या उसके निष्पादन में बोलीदाता द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सभी कामों, सूट, दावों और मांगों के लिए और किसी भी नुकसान, इस संविदा के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध किसी भी मद के लिए बोली लगाने वाले के खिलाफ किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। बोलीदाता भारत में प्रचलित नौकरी सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बैंक को उन सभी मांगों या उत्तरदायित्वों से मुक्त करेगा जो ऐसी दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होती हैं जिसका कारण बोलीदाता की लापरवाही है। बोलीदाता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्तियों का भुगतान बिना किसी अतिरिक्त लागत के बैंक को करेगा और बैंक को जिम्मेदार या बाध्य नहीं ठहराएगा। बैंक अपने विवेक से और पूरी तरह से बोली लगाने वाले की कीमत पर इस तरह के मुकदमे की रक्षा करेगा, या तो बोली लगाने वाले के साथ संयुक्त रूप से या उसके मामले का बचाव न करने पर अकेले ही मामले की रक्षा कर सकता है।

27. प्रचार/याचना करना

किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करना, याचना करना या किसी भी रूप में लुभाने का प्रयास करना भारत के कानूनों के तहत अपराध होगा। ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

28. यदि निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीकर्ता/विक्रेता द्वारा संलग्न कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज गलत/नकली/फर्जी पाया जाता है या जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उन्हें संविदा नहीं दी जाएगी नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक में भविष्य में कोई काम। संयुक्त उद्यम या साझेदारी फर्म या किसी अन्य प्रकार की फर्म जिसमें निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता एक पक्ष है, को भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता भी नकारात्मक सूची में रखे जाने के लिए उत्तरदायी होंगे और बैंक द्वारा जारी की गई किसी भी निविदा में तीन वर्ष की अवधि के लिए भाग लेने से अयोग्य होंगे। कार्य/आदेश दिए जाने के बाद कार्य/आदेश निष्पादित करने में विफल होने की स्थिति में, बैंक के पास निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोली लगाने वाले/विक्रेता, उसके सहयोगियों और संस्थाओं को, जिसमें वह रुचि रखता है, किसी भी अनुबंध देने से बैंक वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक के पास यह अधिकार भी है कि वह निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोली लगाने वाले/विक्रेता को, जो इस अनुबंध के तहत संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, किसी भी निविदा में भाग लेने से या बैंक में किसी भी कार्य को तीन साल की अवधि के लिए देने से वंचित कर सकता है। बैंक निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता को प्रतिबंधित करने से पहले निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता को 10 दिनों का नोटिस जारी करेगा और निविदाकार/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता/विक्रेता द्वारा इस तरह के नोटिस पर दिए गए उत्तर पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता/बोली लगाने वाले/विक्रेता को इस संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा।

29. निविदा/बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम और शर्तें समझौते का हिस्सा होंगी।

30. इस अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी खर्च केवल बोलीदाताओं / वेंडरों द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

31. करार/संविदा/निविदा से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही केवल लखनऊ के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

32. विविध :

i. इच्छुक निविदाकर्ता निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
ii. सभी संलग्नकों सहित तकनीकी बोली के सभी पृष्ठ क्रमांकित होने चाहिए (मुद्रित पत्रक/कैटलॉग को छोड़कर) और विधिवत भरे जाने चाहिए, बोली लगाने वाले या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षर और सभी पृष्ठों पर मुहर के बिना प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।
iii. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा साइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com/eprocn/ mstc को प्रस्तुत करने की देय तिथि से पहले नियमित रूप से इस निविदा के परिवर्तन, यदि कोई हो, के संबंध में देखें।
iv. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर निविदा को फिर से जारी करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
v. यदि सेवा प्रदाता को सेवा प्रदाता की ओर से कार्य / चूक द्वारा समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो सेवा प्रदाता इस बात से सहमत है कि बयाना राशि / सुरक्षा जमा बैंक द्वारा वापस नहीं की जाएगी और उसे जब्त कर लिया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता की ओर से कार्य/चूक द्वारा समय से पहले अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो वह (सेवा प्रदाता) 3 महीने की अवधि के लिए या जब तक बैंक नए सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति नहीं करता तब तक उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगा।
vi. तीन मौकों पर आरबीआई के आदेशों का जवाब नहीं देने वाले विक्रेताओं की स्थिति में, उन्हें बैंक द्वारा हटाया जा सकता है।
vii. आरबीआई किसी भी समय किसी भी वेंडर से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
viii. वास्तविक आर्डर देते समय मदों की मात्रा घट/बढ़ सकती है।
ix. निविदाओं में बोली लगाने वाले इच्छुक पक्षों को उत्पाद (ब्रांड, मेक, आकार और कोई अन्य विनिर्देश) का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। वस्तुओं का भौतिक नमूना भी प्रस्तुत करना होगा।
x. यदि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय गलत पाई जाती है और संविदा करने के बाद भी, विक्रेता को बैंक द्वारा तय की गई अवधि के लिए सूची से हटा दिया जाएगा/काली सूची में डाल दिया जाएगा। बोलीदाता इस संबंध में किसी भी अदालत में कोई विवाद नहीं उठाएगा।
xi. बैंक किसी भी सशर्त बोली को स्वीकार नहीं करता है। यदि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बोली में कोई शर्तें हैं तो बिना कोई कारण बताए बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त निर्देशों और निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए दिशानिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम एतद्द्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त अनुबंध/कार्य/आदेश मुझे/हमें सौंपे जाने की स्थिति में यह मेरे/हम पर बाध्यकारी रहेगा। मैं/हम यह भी नोट करते हैं कि इस दस्तावेज़ के नियम और शर्तें अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा बनेंगे और इस दस्तावेज़ की सामग्री निविदा में शर्तों के पूरक होंगे और विशेष रूप से यहां प्रदान की गई सीमा को छोड़कर इसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर
पता
दिनांक ________ 2026

(नोट: यदि निविदाकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी के कार्यपालक को कंपनी की ओर से प्रस्तुत करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल से संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी है। यदि निविदाकर्ता एक साझेदारी फर्म है तो इसे साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और सभी भागीदारों से भागीदारों में से एक को आवश्यक रूप से निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। इसकी एक नोटरीकृत सत्य प्रति संलग्न की जाए है।)

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

(बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ मूल प्रति की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार मेसर्स/श्री/श्रीमती. ____________________________ जिनका पता आंशिक रूप से दर्ज है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु.______________________(रुपये____ ______________) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है।
यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी पर किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर और सील)

बैंक के लिए
संपर्क नंबर (अनिवार्य फील्ड):
संपर्क ईमेल पता (अनिवार्य फील्ड):
स्थान:
दिनांक:
नोट:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।

2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

बयाना जमा राशि/ प्रतिभूति जमा के बदले में कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इस गारंटी पत्र को इस दिनांक _____, ____ दिनांक, सन् ____ को ____ (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ (स्थान) पर है तथा जिसका एक स्थानीय कार्यालय ____ पर है (जिसे इसके बाद 'जमानतदाता' कहा जाएगा) और भारतीय रिजर्व बैंक, एक निगम जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित है, जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई – 400 001, भारत में स्थित है (जिसे इसके बाद 'RBI' कहा जाएगा), के बीच बनाया गया है।

जबकि _____ (टेंडरदाता का नाम, जिसे इसके बाद 'टेंडरदाता' कहा जाएगा) एक स्वामित्व/कंपनी, जो _____ के तहत पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है, RBI को मुंबई और नवी मुंबई में स्थित RBI और उसकी सभी शाखाओं के लिए स्टेशनरी आइटम्स के लिए अपने उद्धरण से संबंधित धनराशि के रूप में INR _____ (केवल रुपये _________) की राशि RBI को जमा करने के लिए बाध्य है, जिसमें संलग्न विनिर्देश एवं शर्तें एवं प्रतिबंध भी शामिल हैं।

जबकि टेंडरदाता टेंडरदाताओं के लिए निर्देशों एवं विशेष शर्तों के खंड संख्या _____ के अनुसार नकद में धनराशि जमा करने के स्थान पर ____ तक वैध एक बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. यह कि जमानतदाता, टेंडरदाता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दिए गए उल्लिखित टेंडर के संबंध में, इस द्वारा यह प्रतिज्ञा करता है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक को इस गारंटी पत्र को प्रस्तुत करने पर मांग की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, बिना किसी आपत्ति के, टेंडरदाता द्वारा अपने टेंडर से संबंधित धनराशि के रूप में RBI को जमा करने हेतु बाध्य राशि रुपये ____ (केवल रुपये ____________________) का भुगतान मांग पर करेगा।
2. यह गारंटी टेंडरदाता की किसी भी अनियमितता या दोष पर, या भारतीय रिजर्व बैंक, टेंडरदाता या जमानतदाता के विघटन या गठन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
3. यदि टेंडरदाता अपना टेंडर जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, या शर्तों और नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं होने वाले ढंग से संशोधित करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई और नवी मुंबई के सभी शाखाओं के लिए स्टेशनरी आपूर्ति के लिए उद्धरण पर आदेश देने के निर्णय लेने के बाद आदेश स्वीकार करने से इनकार करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने का अधिकारी होगा। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. जमानतदाता इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना, रद्द नहीं कर सकता।
5. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, जमानतदाता की इस गारंटी के तहत दायित्व रुपये ____ (केवल रुपये ______________) तक सीमित है।
6. यह गारंटी ______________ तक लागू एवं प्रभावी रहेगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमानतदाता को सूचना दिए जाने पर समाप्त होकर अप्रभावी हो जाएगी, जिस स्थिति में यह गारंटी रद्द हो जाएगी।
7. जमानतदाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, भले ही टेंडरदाता और भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।

8. उल्लिखित टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भी क्षमाशीलता, कार्य या अनुपस्थिति, या टेंडरदाता के प्रति किसी भी प्रकार की दया दिखाने से जमानतदाता का कोई भी दायित्व समाप्त नहीं होगा। इस गारंटी के तहत जमानतदाता के दायित्व केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे सूचना दिए जाने पर समाप्त होंगे।
9. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि इस गारंटी के तहत जमानतदाता से मांग या दावा _______ तक लिखित रूप में नहीं किया जाता है, तो उसके बाद जमानतदाता इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
10. जमानतदाता को अपने मेमोरेंडम एवं संगठन के लेखों के तहत इस गारंटी जारी करने का अधिकार है और जिस व्यक्ति द्वारा इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, उसे जमानतदाता द्वारा प्रदत्त पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इसे करने के आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं।

हस्ताक्षरित एवं सौंपा गया उपरोक्त नामित बैंक के पक्ष में एवं उसकी ओर से।

(बैंकर का नाम एवं मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

भाग – II

अनुबंध ए

दर सूची

क्रमांक	**लेखन सामग्री**	**दर (जीएसटी छोडकर)**
1	पेपर फ़ोल्डर 80 GSM A4 JK पेपर	
2	75 जीएसएम ए4 जेके पेपर	
3	स्प्रिंग फ़ाइल	
4	बाइंडर क्लिप 30 मिमी	
5	बाइंडर क्लिप 55 मिमी	
6	बोर्ड मार्कर	
7	बोर्ड डस्टर	
8	गम बोतल के लिए ब्रश 10 mm	
9	प्रति पैकेट कार्बन पेपर	
10	सीडी मार्कर (पेन)	
11	सीडी मेलर	
12	करेक्टिंग पेन व्हाइटनर	
13	डार्ट पिन / थंब पिन (पैकेट)	
14	डस्टर कपड़ा बड़ा 24”x24”	
15	इरेज़र – पेंसिल	
16	फुट रूलर	
17	रत्न क्लिप बहु रंग	
18	प्रति पैकेट चमकदार कागज	
19	गम बोतल 700 मिलीलीटर	
20	गम टेप रोल	
21	फेवी स्टिक 8 ग्राम	
22	हाइलाइटर	
23	अदृश्य टेप	
24	चाकू (मध्यम)	
25	लीगल साइज़ पेपर 80 GSM JK (प्रति रिम)	
26	मीटिंग पेन नॉर्मल (नीला, काला)	
27	मीटिंग पेन लक्सर V5	
28	बहु रंग झंडा (डेसमैट) 3 रंग	
29	सुई बड़ी	
30	पैकिंग टेप ब्राउन / ट्रांसपेरेंट 2 इंच, 1 इंच साइज़ मोटाई	
31	पेपर कटर	
32	दस का पेंसिल पैकेट	
33	स्थायी मार्कर (बोल्ड)	

34	पिन कुशन	
35	पिन पैकेट	
36	पंचिंग मशीन DP280	
37	पंचिंग मशीन DP500	
38	पंचिंग मशीन DP800	
39	रबर बैंड फ्लोरोसेंट रंग	
40	शार्पनर – पेंसिल	
41	कैंची 185 मिमी	
42	स्पंज कप (डैम्पर)	
43	स्टैम्प पैड (नीला) साइज़ 97x160mm	
44	स्टैम्प पैड (लाल) साइज़ 97x160mm	
45	स्टेपलर छोटा	
46	स्टेपलर बड़ा	
47	स्टेपलर हेवी ड्यूटी DS12 S /17	
48	स्टेपलर पिन – छोटा	
49	स्टेपलर पिन – बड़ा	
50	स्टेपलर पिन - हैवी ड्यूटी	
51	स्टिकी नोट्स 1.5"x2"	
52	स्टिकी नोट्स 3"x4"	
53	तत्काल झंडा (प्रति पैकेट)	
54	प्री-इंक स्टैम्प सन	
55	प्री-इंक राउंड ऑफिस स्टैम्प	
56	कार्यकारी बांड पत्र	
57	मार्कीन (कपड़ा)	
58	पेपर फ़ोल्डर	
59	मीटिंग पैड (साधारण)	
60	मीटिंग पैड (कार्यकारी)	
61	सर्पिल मीटिंग पैड	
62	बाइंडर क्लिप 55 मिमी	
63	प्रति पैकेट मोमबत्ती (200 मिमी x 6 संख्या (प्रति पैकेट)	
64	सेलो टेप 12mm, 1 इंच मोटा	
65	डस्ट बिन 12”	
66	सफेद लिफाफा 10x5 (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	
67	सफेद विंडो लिफाफा 10 ” x 5 ” (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	
68	भूरे कपड़े का लिफाफा 10 ” x 5 ” (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	
69	हरा कपड़ा कवर लिफाफा 16 ” x 12 ” (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	

70	हरा कपड़ा कवर लिफाफा 10 ” x 12 ” (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	
71	हरा कपड़ा कवर लिफाफा 15 ” x 11 ” (आरबीआई हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित)	
72	फेविकोल 300 मिली	
73	फ़ाइल बोर्ड दो फ्लैप	
74	गम ट्यूब 100 मिलीलीटर	
75	रजिस्टर 2 क्वायर 13”x8”, 60 GSM	
76	रजिस्टर 3 क्वायर 13”x8”, 60 GSM	
77	स्टिकी नोट्स 4"x4"	
78	डेटर स्टाम्प	
79	रबड़ की मोहर	
80	पार्सल पैकिंग के लिए वर्धमान धागे	
81	पेन रेनॉल्ड से मिलना ट्राइमैक्स	
82	कैलकुलेटर (12 डिजिट Casio/ Orpat)	
83	वजन मशीन बैटरी	
84	सी एलो टेप ½ इंच	
85	प्री इंक स्टैम्प इंक फिलिंग	

नोट :

MSTC पोर्टल में सीमा के कारण, अनुक्रमांक 1 से 45 तक की वस्तुओं के लिए मूल्य बोली Event No. RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/4/25-26/ET/1050 [Supply of Stationery Items RBI] में दी जा सकती है, और अनुक्रमांक 46 से 85 तक के लिए Event No. RBI/Lucknow Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/1055 [Supply of Stationery Items RBI] में दी जा सकती है।

ऊपर उल्लिखित राशि में जीएसटी को छोड़कर आपूर्तिकर्ता पर लागू होने वाले सभी कर शामिल हैं, जैसे स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर, आदि और आपूर्तिकर्ता सरकार को उक्त करों का भुगतान करेगा। आपूर्तिकर्ता भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत बिलों में उसके द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी को अलग से इंगित करेगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू होने वाले करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी और आपूर्तिकर्ता को इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।